न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—100/2016/223 (2016/00100)

1. लादूराम पुत्र हरदेव,
2. रतनलाल पुत्र हरदेव,
3. श्रीमती नन्दू पत्नि हरदेव,
4. समस्त जाति माली, नि0 बिसुन्दनी, तह0 सावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती गलकू पत्नी सुगना,
2. पप्पू पुत्र मोहना पुत्र सुगना,
   समस्त जाति कुमावत, नि0 सुरजपुरा, तह0 सावर, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती लाली पुत्री सुगना पत्नी रोडू, जाति कुमावत, नि0 हूणा का खेड़ा, तह0 सावर, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 8.12.2015 अंतर्गत राजस्व वाद संख्या 105/2010.

उपस्थितः—

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 4.

निर्णय

दिनांकः—15.11.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.12.2015 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा बिसुन्दनी में अवस्थित साबिक आराजी खसरा संख्या 820 मिन नवीन 1166 रकबा 6 बीघा व खसरा संख्या 1167 में से रकबा 2 बीघा वादीगण के कब्जे काश्त में संवत् 2016 से आवंटन के समय से चली आ रही है । प्रतिवादीगण का आराज खसरा संख्या 1167 रकबा 2 बीघा से कोई सरोकार नहीं है और न ही 2 बीघा भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त

ही रहा है । केवल राजस्व रिकार्ड में गलत इंद्राज होने से वादीगण इस 2 बीघा भूमि की घोषणा कराने व रिकार्ड दुरूस्त कराने व प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने हेतु उनको यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है ।

3. प्रतिवादी ने वाद पत्र का प्रतिवाद प्रस्तुत कर वाद के कथनों से इंकार कर वाद को खारिज करने की प्रार्थना की । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अपने पूर्व निर्णयों क्रमशः 19.4.1999, 13.3.2002, 29.3.2008 पारित कर वाद को खारिज किया । उक्त निर्णयों व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा (राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर) में अपील प्रस्तुत की। न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय क्रमशः दिनांक 15.9.2000, 20.8.2002, 11.5.2010 पारित किये । न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 20.8.2002 के विरूद्ध मान0 राजस्व मण्डल, अजमेर में अपीलांटस ने अपील प्रस्तुत की थी । मान0 राजस्व मण्डल ने भी अपने निर्णय दिनांक 31.1.2005 द्वारा अपीलांटस की अपील को स्वीकार कर प्रकरण साक्ष्य के आधार पर निर्णित करने के आदेश पारित किये । न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 11.5.2010 की पालना में उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने वादीगण के पिता व पति को आराजी खसरा संख्या पुराना 820 कुल रकबा 391 बीघा 10 बिस्वा में से रकबा 6 बीघा तथा प्रतवादी सुगना को 4 बीघा आवंटन किया जाना मानकर मौके पर वादीगण को आराजी खसरा संख्या 942 में रकबा 6 बीघा के बजाय 0.61 है0 भूमि पर तथा प्रतिवादी का खसरा संख्या 934 रकबा 4 बीघा के बजाय 0.35 है0 भूमि पर ही नाप चौप अनुसार बैठता है, निर्णय में अंकित कर मौके पर अन्य कोई खाली पड़त भूमि नहीं होना मानकर वादीगण द्वारा वाद सिद्ध नहीं कर पाने व साबिक खसरा संख्या 820 के हाल खसरा नंबर 942 का शेष 2 बीघा रकबा किस नंबर में गया है, वादीगण चाहते है कि प्रतिवादीगण का खसरा संख्य ा934 है जिसमें से 2 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावे किन्तु किसी एक खातेदार की खातेदारी की आराजी का बिना किसी औचित्य के बिना सिवायचक दर्ज किये अन्य खातेदार को नहीं दी जा सकती है, अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8.12.2015 में अंकित कर वाद पोषणीय नहीहं मानकर खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांटस के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद में बिना विवाद बिन्दु कायम किये व बिना अभिकथनों व साक्ष्य का सही विवेचन व विश्लेषण किये निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने मान0 राजस्व मण्डल के प्रकरण में रिमाण्ड निर्णय दिनांक 31.1.2005 व न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 11.5.2010 के निर्देशों की पालना नहीं कर निर्णय व डिक्री पारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांटस को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2014 के अनुसार पुराना खसरा संख्या 820 जिसके हाल आराजी खसरा नंबर 1166 रकबा 6 बीघा भूमि अपीलांटस के पिता हरदेव को आवंटन की जाकर खातेदारी में दर्ज की गई थी । हरदेव के स्वर्गवास के बाद विरासत का नामांतकरण संख्या 128 दिनांक 12.5.1993 को मृतक हरदेव के स्थान पर उनके वारिसान अपीलांटस के नाम स्वीकार किया गया है।

उक्त साबिक आराजी संख्या 820 का रकबा 391 बीघा 10 बिस्वा है इसमें से अपीलांटस के पिता को 6 बीघा आवंटित की गई थी तब से आज तक लगातार कब्जा काश्त अपीलांटस का ही चला आ रहा है । नक्शे में गलत तरमीम कर अपीलांटस की खातेदारी में 6 बीघा भूमि के स्थान पर 4 बीघा भूमि की तरमीम कर दी गई जो गलत है । इस प्रकार 2 बीघा भूमि कम तरमीम की गई है । इस संबंध में प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 को संपूर्ण आराजी खसरा संख्या 820 के कुल रकबा 391 बीघा 10 बिस्वा बाबत् मौके पर जाकर दोनों आवंटियों को उनकी आराजी नपवाकर अपीलांटस को 6 बीघा व रेस्पो0 को 4 बीघा पर कब्जा देकर प्रकरण को निर्णित करना चाहिये था लेकिन अधी0न्याया0 ने संपूर्ण रकबा का ना चौप नहीं कर विवादास्पद रकबे का नापचौप कर निर्णय व डिक्री पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने जब अपीलांटस को रकबा 6 बीघा का खातेदार रिकार्ड के अनुसार माना है तो मौके पर 4 बीघा रकबा क्यों कर दर्शाया जा रहा है इस बिन्दु पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होते हुए भी अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित नहीं किया है । अधी0न्याया0 का निर्णय अपने आप में विरोधाभासी होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.12.2015 निरस्त किया जावे एवं वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 ने बहस में निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का निस्तारण किया जावे ।

6. हमनें अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 820 मिन रकबा 6 बीधा बारानी–3 राजस्व रिकार्ड में हरदेव वल्द नारायण कौम माली के नाम दर्ज है । साबिक आराजी खसरा नंब 820 मिन रकबा 6 बीघा के नवीन खसरा नंबर 942 रकबा 0.97 है0 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 में लादूराम, रतनलाल पि0 हरदेव व नन्दू पत्नि हरदेव कौम माली के नाम दर्ज रिकार्ड है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व नक्शे में अपीलांट की खातेदारी में 6 बीघा भूमि के स्थान पर 4 भूमि तरमीम की गई है । वादीगण/अपीलांटस का वाद अधी0न्यायालय द्वारा पूर्व में क्रमशः दिनांक 19.4.1999, 13.3.2002 एवं 29.3.2008 को निर्णित किये गये तथा इन निर्णयों के विरूद्ध वादीगण/अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा क्रमशः दिनांक 15.9.2000, 28.8.2002 एवं 11.5.2010 को निर्णय पारित किये गये है । मान0 राजस्व मण्डल ने भी निर्णय दिनांक 31.1.2005 द्वारा अपीलांटस की अपील स्वीकार कर प्रकरण को साक्ष्य के आधार पर निर्णित करने के आदेश पारित किये है । प्रकरण न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 11.5.2010 की पालना में अधी0न्याया0 को रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने मौका रिपोर्ट क्रमशः दिनांक 13.6.2013 व 9.6.2015 प्राप्त की है जिसके अनुसार हाल खसरा नंबर 934 रकबा 065 है0 व 942 रकबा 0.97 है0 भूमि होना रिकार्ड से जाहिर है किन्तु मौकका रिपोर्ट अनुसार वादीगण/अपीलांटस का खसरा नंबर 942 कुल रकबा 0.97 है0 का मौके पर कब्जा 0.61 है0 ही बैठता है तथा प्रतिवादीगण का खसरा नंबर 934 रकबा 0.65 है0 के बजाय मौके पर 0.35 है0 पर कब्जा बैठता है । इन मौका पर्चा रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौके पर अन्य कोई खाली पड़त भूमि नहीं है । वादीगण/अपीलांटस ने खसरा नंबर 934 में से 2 बीघा भूमि चाही है किन्तु इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्यों से यह

साबित करने में असफल रहा है कि उसकी 2 बीघा भूमि खसरा नंबर 934 में सम्मिलित हो गई हो । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार बिना किसी औचित्य के समाप्त नहीं किये जा सकते है । पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि मौके पर भूमि उपलब्ध नहीं है, रकबा कम होकर कहां गया यह साबित करने में अपीलांटस असफल रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रकट नहीं होती है । ।

7. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज की जाती है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.12.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर